



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD

(U.P. Govt. Undertaking)

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांक: 245-उनिलि/रिफार्म/उत्कृष्ट खिलाड़ी नियमावली/2022

दिनांक: 26 दिसम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.12.2022 को सम्पन्न 211वीं बैठक के एजेण्डा आइटम संख्या-211.8 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या: 3/47/का-2/2022, दिनांक 07.01.2022 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022" जिसे कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या: 02/2022/3/47/का-2/2022, दिनांक 07.01.2022 द्वारा निर्गत किया गया है, को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की सेवाओं में एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है।

2- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक: 245-उनिलि/रिफार्म/उत्कृष्ट खिलाड़ी नियमावली/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्रबं० एवं प्रशा०/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र /सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर०एण्ड०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव-परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक/प्रगति, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, टी० सी०-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड फेज-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
9. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 14.12.2022 को सम्पन्न 211वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या-211.8 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
11. अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05/रिफॉर्म/टा०वा०से०), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०-02/औ०सं०), उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), टी० सी०-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

26/12/22
(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशाली अभियन्ता (रिफॉर्म)

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-02/2022/3/47/का-2/2022

लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2022

अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022" की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
5. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष/ मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
13. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को संलग्न नियमावली के आवरण पत्र सहित 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
निर्मल कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-3/47/का-2/2022

लखनऊ, दिनांक : 07 जनवरी, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं में समूह 'ग' के पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

"उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022"

संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ और लागू
होना

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी तथा इस नियमावली को अधिसूचित किये जाने के पश्चात् विज्ञापित किये जाने वाली रिक्तियों पर लागू होगी।

(3) इस नियमावली के प्राविधान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाने वाली भर्तियों पर लागू नहीं होंगे

परिभाषाएं

2- जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य संबंधित पदों की सेवा नियमावली या संबंधित पदों के कार्यकारी अनुदेशों में यथा परिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है ;

(घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(ङ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

भर्ती का स्रोत

3-(1) कुल रिक्तियों की 02 प्रतिशत रिक्तियाँ, राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में समूह 'ग' के पदों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी।

- (2) उक्त आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा।
- (3) यदि उपनियम(1) के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी न भरी गयी रिक्तियाँ अग्रणीत नहीं की जायेंगी

शैक्षिक और अन्य
अर्हताएं

- 4-(1) अभ्यर्थी के लिए संगत सेवा नियमावली के अधीन सम्बन्धित पद की विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।
- (2) यदि किसी पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त टंकण अथवा अन्य कोई तकनीकी अर्हता विहित हो तथा संबंधित खिलाड़ी उक्त अर्हता धारित नहीं करता है तो उसे इस शर्त के साथ नियुक्त किया जायेगा कि उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के दिनांक से अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के भीतर उक्त अर्हता अर्जित कर ली जायेगी।

भर्ती हेतु उत्कृष्ट
खिलाड़ियों की
अर्हताएं

- 5-(1) निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाला या सहभागिता करने वाला कोई खिलाड़ी भर्ती हेतु आवेदन कर सकता है:-

क्र . सं.	खेल का नाम	क्र . सं.	खेल का नाम
1.	तीरंदाजी	20.	बाडी बिल्डिंग
2.	एथलेटिक्स	21.	वाटर स्पोर्ट्स
3.	क्रासकंद्री	22.	खो-खो
4.	बेडमिन्टन	23.	कबडडी
5.	वालीबाल	24.	शूटिंग स्पोर्ट्स
6.	बास्केटबाल	25.	स्वीमिंग
7.	पावर-लिफ्टिंग	26.	टेबिल टेनिस
8.	बाक्सिंग	27.	लान टेनिस
9.	साइकिलिंग	28.	कराटे
10.	घुडसवारी	29.	योग
11.	फुटबाल	30.	कुश्ती

12.	हैण्डबाल	31.	ताइक्वाण्डो
13.	रायफल शूटिंग	32.	भारोत्तोलन
14.	जिम्नास्टिक	33.	गोल्फ
15.	जूडो	34.	सैपक टकरा
16.	हॉकी	35.	तलवारबाजी
17.	वुशू	36.	आर्मेरेसलिंग
18.	पेनकक सिल्ट	37.	शतरंज
19.	क्रिकेट		

नोट:-उक्त सूची में उल्लिखित खेलों में समय-समय पर राज्य सरकार व खेल विभाग से मान्यता प्राप्त एवं सम्बद्धता प्राप्त खेलों को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।

(2) अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप्स का वर्गीकरण:-

श्रेणी-ए	ओलम्पिक खेल (सीनियर कैटेगरी)
	पैरा ओलम्पिक खेल(सीनियर कैटेगरी)
	विश्वकप (जूनियर/सीनियर कैटेगरी)
	विश्व चैम्पियनशिप्स (जूनियर/सीनियर कैटेगरी)
श्रेणी-बी	एशियाईखेल (सीनियर कैटेगरी)
	एशियाई पैरा खेल(सीनियर कैटेगरी)
	कॉमन वेल्थ खेल (सीनियर कैटेगरी)
	कॉमन वेल्थ चैम्पियनशिप्स (सीनियर कैटेगरी)
	एशियाई चैम्पियनशिप्स (सीनियर कैटेगरी)
श्रेणी-सी	साउथ एशियन खेल (सीनियर कैटेगरी)
	युवा ओलम्पिक खेल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	कॉमनवेल्थ युवाखेल
श्रेणी-डी	राष्ट्रीय खेल में युवा (सीनियर कैटेगरी)
	राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (जूनियर/ सीनियर कैटेगरी)
	भारतीय विश्वविद्यालय एशोसिएशन
	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेन्ट
	अखिल भारतीय अन्तर चैम्पियनशिप

(3) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भर्ती के मानक:-

श्रेणी- ए में प्रतिभाग किया हो अथवा श्रेणी- बी में कोई पदक प्राप्त किया हो अथवा श्रेणी-सी में कम से कम द्वितीय स्थान (टीम/व्यक्तिगत) प्राप्त किया हो अथवा श्रेणी-डी में प्रथम स्थान (टीम/व्यक्तिगत) प्राप्त किया हो। उक्त के अतिरिक्त क्रिकेट में अंतराष्ट्रीय एकदिवसीय/टेस्ट मैच में प्रतिभाग करने वाला खिलाड़ी भी भर्ती हेतु आवेदन के लिए पात्र होगा। इसी प्रकार शतरंज में ग्रेड मास्टर उपाधि प्राप्त खिलाड़ी भी भर्ती हेतु आवेदन के लिए पात्र होगा।

(4) खेल उपलब्धियों की अवधि- जिस वित्तीय वर्ष में रिक्तियां विज्ञापित की जाय उस वित्तीय वर्ष से 05 वित्तीय वर्ष से अधिक के पहले की उपलब्धि न हो अर्थात् यदि रिक्तियों का विज्ञापन वर्ष 2020-21 में होता है, तो खेल उपलब्धि वर्ष 2015-16 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

आयु सीमा

6- प्रत्येक पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित पद की सेवा नियमावलियों में निर्धारित की गई है।

भर्ती की प्रक्रिया

7- भर्ती प्रक्रिया वही होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली में विहित की गई है। परन्तु यह कि खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, पदों के नाम, वेतन लेवल, भर्ती के न्यूनतम खेल मानक, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, खेल उपलब्धियों की अवधि और खेल विधाओं को भर्ती हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सम्बन्धित चयन निकाय/बोर्ड/ आयोग द्वारा विज्ञापन से स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा।

परन्तु यह कि सम्बन्धित चयन निकाय सरकार के पूर्व अनुमोदन से चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई अन्य सन्नियम विहित कर सकता है।

- नियुक्ति और सेवा शर्तें** 8-(1) सम्बन्धित चयन निकाय/ बोर्ड/ आयोग की संस्तुति के क्रम में अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षण तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
- (2) नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें वहीं होंगी जैसा कि प्रश्नगत पद की सम्बन्धित सेवा नियमावली में विहित हो।
- पक्ष का समर्थन** 9- पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों के भिन्न सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन** 10- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्याकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- नियमों में शिथिलता** 11- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है वहाँ वह नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के किसी उपबन्ध को समाप्त कर सकती है या उसमें शिथिलता प्रदान कर सकती है।

आज्ञा से,

डा० देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3/47/Personnel-2/2022, dated January 07, 2022:

**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2**

No. 3/47/Personnel-2/2022

Dated Lucknow, January 07, 2022:

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to ensuring recruitment of Outstanding Sportsperson on Group 'C' Posts in the services and posts of the various Government Departments:

Uttar Pradesh Government Departments (Direct Recruitment of Outstanding Sportsperson to Group 'C' Posts) Rules, 2022

Short title,
commencement
and applicability

1. (1) These rules may be called ***Uttar Pradesh Government Departments (Direct Recruitment of Outstanding Sportsperson to Group 'C' Posts) Rules, 2022***
- (2) They shall come into force at once and shall be applicable to the vacancies to be advertised after the notification of these rules.
- (3) The provisions of these rules shall not be applicable on the recruitments made by Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board.

Definitions

- 2- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context -
 - (a) "appointing authority" means an appointing authority as defined in concern service rules of the posts or executive instructions for concern posts.
 - (b) "Constitution" means the Constitution of India;
 - (c) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
 - (d) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
 - (e) "State" means the State of Uttar Pradesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Source of Recruitment

- 3-(1)** Two percent of the total number of vacancies shall be reserved to be filled by outstanding sportspersons by direct recruitment under Group 'C' Posts in various Government Departments of State.
- (2)** The reservation shall be horizontal in nature.
- (3)** If the eligible candidates are not available in accordance with subrule(1), such unfilled vacancies will not be carried forward.

Educational and Other Qualifications

- 4-(1)** It will be mandatory for the candidate to possess the prescribed minimum educational qualification of the concerned post under the relevant service rules.
- (2)** If in addition to the minimum educational qualification prescribed for a post, typing or any other technical qualification is prescribed and any sportsperson does not possess the said qualification, he/she will be appointed with the condition that he/she has to acquire the said qualification within the period of maximum five years from the date of his initial appointment.

Qualifications for Outstanding sportspersons for recruitment

- 5-(1)** Any sportsperson who has won a medal or participated in the following international / national sports can apply for the recruitment:-

No.	Name of the game	No.	name of game
1.	Archery	20.	Body Building
2.	Athletics	21.	Water Sports
3.	Crosscountry	22.	Kho-Kho
4.	Badminton	23.	Kabaddi
5.	Volleyball	24.	Shooting Sports
6.	Basketball	25.	Swimming
7.	Power-lifting	26.	Table Tennis
8.	Boxing	27.	Lawn Tennis
9.	Cycling	28.	Karate
10.	Horse Riding	29.	Yoga
11.	Football	30.	Wrestling
12.	Handball	31.	Taekwondo
13.	Rifle Shooting	32.	Weightlifting
14.	Gymnastics	33.	Golf
15.	Judo	34.	Sepak Takara
16.	Hockey	35.	Fencing

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

17.	Wushu	36.	Arm wrestling
18.	Pencak Silt	37.	Chess
19.	Cricket		

Note:-The sports mentioned in the above list can be considered for adding the sports recognized and affiliated from the State Government and Sports Department from time to time.

(2) Categorization of international / national sports championships:-

Category-A	Olympic Games (Senior Category)
	Para Olympic Games (Senior Category)
	World Cup (Junior/Senior Category)
	World Championships (Junior/Senior Category)
Category-B	Asian Games (Senior Category)
	Asian Para Games (Senior Category)
	Common Wealth Games (Senior Category)
	Common Wealth Championships (Senior Category)
	Asian Championships (Senior Category)
Category-C	South Asian Games (Senior Category)
	Youth Olympic Games
	Commonwealth Youth Games
Category-D	Youth (Senior Category) in National Games
	National Championship (Junior/Senior Category)
	Association of Indian Universities
	All India Inter Universities Tournament
	All India Inter Championship

(3) Recruitment norms for outstanding sportspersons:-

Participated in Category-A or achieved any medal in category-B or at least

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2nd position in category-C OR First position in category-D(Team/Individual). In addition to the above, a sportsperson participating in International One Day/Test match in cricket will also be eligible to apply for recruitment. Similarly, a player having a Grand Master's title in Chess will also be eligible to apply for the recruitment.

- (4) Period of Sports Achievements – The Sports achievement must not prior to 05 financial years from the financial year in which vacancies are advertised i.e. if the vacancies are advertised in the financial year 2020-21, the sports achievement must not be prior than the financial year 2015-16.

Age Limit 6- The age limit for recruitment to each post will be the same as prescribed by the State Government in the concerned service rules for the post.

Recruitment Process 7- The procedure of the recruitment shall be the same as prescribed by the State Government in the service rules for the post concerned. Provided that number of posts reserved for the sportsperson, name of the posts, pay-level, minimum sports standards for recruitment, minimum educational qualification, period of sports achievements and sports discipline will be clearly mentioned in advertisement by the respective selection body / board / commission for recruitment.

Provided that the respective selecting body can prescribe any other norms regarding selection process with prior approval of the Government.

Appointment and Service Conditions 8-(1) In the order to recommendation of the concerned selection body / board / commission, after the medical examination and police verification report of the selected candidates the appointment letter shall be issued by the appointing authority.

- (2) The conditions of appointment and service conditions will be same as prescribed in the concerned service rules of the post in question.

Canvassing of the Party 9- Recommendations, whether written or oral, other than those required under the rules in force in relation to the post or service, shall not be considered. Any attempt on the part of a candidate to obtain support, directly or indirectly, for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of Other Matters 10- In respect of matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Establishment shall be governed by the rules, regulations and orders generally applicable to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

relaxation of rules 11- Where the State Government is satisfied that it is necessary or expedient to do so, it may notwithstanding contained in the rules, by order dispense with or relax any of the provisions of these rules.

By order,
Dr. Devesh Chaturvedi
Additional Chief Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।